AMAR UJALA MY CITY Page 5

लॉकडाउन के बावजूद पीजी आवेदन ने तोड़ा पिछला रिकॉर्ड

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय को लॉकडाउन की वजह से आवेदन प्रक्रिया बार-बार बढ़ानी पड़ रही है। अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित न होने तथा लॉकडाउन की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। स्नातक के आवेदन अभी भी कम हैं। इसके बावजूद लविवि में परास्नातक आवेदन के मामले में पिछला रिकॉर्ड टूट चुका है। इस साल पीजी आवेदन में 11 हजार 600 आवेदन आ चुके हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 10 हजार 600 ही था। प्रवेश

इस साल ज्यादा सीटें भरने की उम्मीद

लविवि में हर साल परास्नातक की काफी सीटें खाली रह जाती हैं। इस साल जिस तरह से आवेदन की संख्या बढ़ रही है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि खाली सीटों की संख्या काफी कम रहेगी।

भाषाओं की हालत इस बार भी खराब

लविवि में भले ही आवेदन की संख्या में इजाफा हो रहा है पर भाषाओं की हालत इस बार भी बहुत अच्छी नहीं है। पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, हिंदी जैसे पाठ्यक्रमों की हालत इस बार भी खराब ही है। इन पाठ्यक्रमों में सीट के बराबर भी आवेदन नहीं हुए हैं। वहीं अंग्रेजी में आवेदन की स्थिति अच्छी है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, समाज कार्य जैसे विषयों में इस साल आवेदन अच्छी संख्या में आए हैं।

अब तक आ चुके हैं 11,600 आवेदन पिछले साल से एक हजार अधिक

समन्वयक प्रो अनिल मिश्रा के अनुसार लविवि में पिछले साल से स्नातक के बजाय परास्नातक आवेदन की संख्या ज्यादा होना उत्साहजनक है। स्नातक प्रणाली में हर साल बोर्ड परीक्षा संपन्न होने से पहले ही आवेदन ले लिए जाते थे। जबकि परास्नातक आवेदन प्रक्रिया बाद तक चलती थी। इस साल लॉकडाउन की वजह से आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित की गई है। पिछले साल 30 जून तक स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी थी। इस साल परास्नातक में 19 हजार पंजीकरण भी हो चुके हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो आवेदन का आंकड़ा अभी और भी बढ़ने की उम्मीद है।

> अपने शहर में रहने की इच्छा परास्नातक स्तर पर आवेदन की अच्छी संख्या उत्साहजनक है। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह नजर आती है कि कोरोना संक्रमण की वजह से विद्यार्थी बाहर नहीं जाना चाहते। इसी वजह से बिना इम्तेहान हुए ही विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं।
> - प्रो. अनिल मिश्रा, प्रवेश समन्वयक लविवि

52 केंद्रों पर होगी लविवि की परीक्षा

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने भारी विरोध के बावजूद शुक्रवार को देर रात परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी कर दी। परीक्षा का आयोजन 52 केंद्रों पर किया जाएगा। 7 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए विवि ने पहले स्वकेंद्र व्यवस्था होने की बात कही थी, लेकिन शुक्रवार रात जारी परीक्षा केंद्र सूची में ऐसा नजर नहीं आया। कालेजों को स्वकेंद्र की सुविधा नहीं दी गई है, लेकिन परीक्षा केंद्रों की संख्या डेढ़ गुना से ज्यादा हो गई है। विवि की सात जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए काफी हो हल्ला मचा हुआ है। परीक्षा के विरोध में शुक्रवार को छात्रों ने धरना भी दिया। परीक्षा कार्यक्रम विवि पहले ही जारी कर चुका है। लविवि में परीक्षा आयोजन के लिए बनी समिति ने अपनी सिफारिश में स्वकेंद्र प्रणाली पर परीक्षा आयोजित कराने का दावा किया था। लविवि ने जो परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की है उनमें एक-एक सेंटर ओर तीन से चार कॉलेजो की परीक्षा कराई जानी है।

HINDUSTAN Page 7

परीक्षा निरस्त कराने के लिए दायर याचिका खारिज

अदालत से

लखनऊ | विधि संवाददाता

लखनऊ विश्वविद्यालय की 7 जुलाई से प्रस्तावित वार्षिक परीक्षाओं को रद्द करने व छात्रों को मास प्रमोशन देने के लिए हाईकोर्ट में छात्रों की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी गई है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि छात्र प्रत्यावेदन के जरिए अपनी समस्या लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखें और विवि प्रशासन ही इस पर निर्णय लेगा। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 19 जून के नोटिस व 23 जून को जारी परीक्षा कार्यक्रम को चुनौती देते हुए जतिन कटियार व 22 अन्य छात्र-छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई की गई।

एलयू के अधिवक्ता सवित्र वर्धन सिंह ने बताया कि वकालतनामे में मात्र एक छात्र का हस्ताक्षर है जबकि याची 23 हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि न तो याचिका में उचित पक्षकार बनाए गए हैं और न ही उन शासनादेशों को चुनौती दी गई है जिन्हें आधार बनाकर विवि ने स्कीम जारी की है। सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। छात्रों की ओर से दायर याचिका का मुख्य आधार कोरोना महामारी को बनाते हुए कहा गया था कि ट्रेनों का पूरी तरह संचालन नहीं होने के कारण तमाम छात्र परीक्षा में आने में असमर्थ होंगे। पीजी में रहने वाले छात्रों को दिक्कत होगी और विवि व कॉलेजों के छात्रावासों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन असम्भव है। याचिका में यह भी कहा गया था कि विवि के ही तीन प्रोफेसर व कुछ स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, ऐसे में संक्रमण फैलने का भी खतरा है।

एलयू: परीक्षा की तैयारियों पर बैठक आज

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन शनिवार को सम्बद्ध कॉलेजों के साथ परीक्षा को लेकर बैठक करेगा। इसमें परीक्षा सम्पन्न कराने के साथ-साथ बचे हुए कोर्स को 15 दिन में किस तरह पूरा किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि लुआक्टा पहले से ही परीक्षा का विरोध कर रहा है। लविवि समेत सभी डिग्री कॉलेज एक जुलाई से खुल रहे हैं। विवि ने 7 जुलाई से परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर रखा है। बैठक में परीक्षा को लेकर कॉलेजों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। कॉलेजों के शिक्षकों को मिलने वाले वेतन व न्यूनतम वेतन समेत तमाम मुद्दे बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक व एलयू के अन्य अधिकारियों समेत सभी कॉलेजों के प्राचार्य भी मौजूद रहेंगे।

NBT Page 8

परीक्षा और क्लासेज को लेकर आज बैठक

■ **एनबीटी, लखनऊ:** लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन शनिवार को परीक्षा की तैयारियों और क्लासेज को लेकर बैठक करेगा। इसमें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों के प्राचार्य भी शामिल होंगे। बैठक में बचे हुए कोर्स को 15 दिन में पूरा करवाने और कॉलेजों के शिक्षकों को मिलने वाले वेतन और न्यूनतम वेतन समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

DAINIK JAGRAN Page 2

'छात्र विवि प्रशासन के सामने रखें बात'

विधि संवाददाता, लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 19 जून के नोटिस व 23 जून को जारी परीक्षा स्कीम को निरस्त किये जाने के साथ मास प्रमोशन की मांग कर रहे छात्रों को एक प्रत्यावेदन के जरिए अपनी बात लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखने को कहा है। न्यायालय पहुंचे छात्रों से कहा गया कि इस मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन निर्णय लेगा।

जस्टिस सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश याचिका खारिज करते हुए पारित किया।

शैक्षिक अभिलेखों की होगी जांच

राज्य, लखनऊ: यूपी के राज्य विवि व डिग्री कॉलेजों में तैनात शिक्षकों की नियुक्ति की जांच होगी। उनके शैक्षिक अभिलेखों का भौतिक सत्यापन होगा। बीते दिनों बेसिक शिक्षा विभाग में हेराफेरी कर अनामिका नाम की एक शिक्षिका के नाम पर कई जिलों में फर्जी नियुक्ति का पर्दाफाश होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने जांच के लिए जिलों में कमेटी बनाने का आदेश दिया है।

PIONEER Page 3

लविवि के परीक्षा कार्यक्रम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने कहा, छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखें अपनी बात

विधि संवाददाता। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने छात्रों को अपनी बात विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष एक प्रत्योवदन के जरिए रखने को कहा है। पीठ ने कहा कि इस प्रत्यावेदन पर विश्वविद्यालय प्रशासन निर्णय लेगा। याचिका में विश्वविद्यालय द्वारा जारी नौ जून की नोटिस व 23 जून को जारी परीक्षा कार्यक्रम को निरस्त करने मांग की गई थी। साथ ही मास प्रमोशन अथवा ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में विचार करने का आदेश भी विश्वविद्यालय को देने की मांग की इस याचिका में की गई थी। जस्टिस सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश जतिन कटियार व 22 अन्य छात्र-छात्राओं की ओर से दाखिल की गयी याचिका को खारिज करते हुए दिया है। एकल पीठ के समक्ष लविवि के वकील सवित्र वर्धन सिंह का कहना था कि याचिका पोषणीय नहीं है। वकालतनामें में सिर्फ एक छात्र का हस्ताक्षर हैं जबकि याचिकाकर्ता 23 हैं। यह भी कहा गया कि याचिका में उचित पक्षकार नहीं बनाए गए हैं और न ही उन शासनादेशों को चुनौती दी गई है, जिन्हें आधार बनाकर लविवि ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है एकल पीठ ने समस्त तथ्यों पर गौर करने के पश्चात याचिका खारिज कर दी। हांलाकि बाद में याचिकाकर्ताओं को अपनी बात लविवि प्रशासन के सामने जरिए प्रत्यावेदन रखने की छूट दे दी।याचिका का मुख्य आधार कोरोना महामारी को बनाया गया था। कहा गया था कि लविवि के परीक्षा नियंत्रक ने कोरोना महामारी की समस्या पर गौर किए बिना परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए समिति का गठन

लखनऊ। कोरोना महामारी के बीच राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराए जाने की संभावना के बीच संक्रमण की आशंका को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन कर दिया है। गठित कमेटी परीक्षाओं को लेकर स्थितियों के आकलन के आधार पर तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मानव संसाधन मंत्रालय ने यूजीसी से परीक्षाओं को लेकर निर्णय लेने के लिए कहा था। इधर बीमारी के प्रसार को देखते हुए राज्य विश्वविद्यालयों के स्तर पर छात्रों और शिक्षकों ने सरकार से परीक्षा स्थगन को लेकर मोर्चा खोल रखा है।

सरकार पर बोझ न बनें विश्वविद्यालय, आय के स्रोत तलाशें

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● **लविवि शताब्दी समारोह का आयोजन ऐतिहासिक और भव्य हो, जिससे वह यादगार बन सके: राज्यपाल**

प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार पर बोझ न बनें बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आय के स्रोत तलाशें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दो-तीन विश्वविद्यालयों का चयन कर उसे पूरा सपोर्ट दे जिससे वे नैक मूल्यांकन में ए ग्रेड हासिल कर सकें क्योंकि प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय नैक मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त नहीं कर सका है। राज्यपाल शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान एवं शताब्दी वर्ष समारोह मनाये जाने के संबंध में राजभवन में बैठक कर रही थी। बैठक में शताब्दी समारोह मनाये जाने के संबंध में राज्यपाल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री जो प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, के दिशा निर्देशन में शताब्दी समारोह का आयोजन ऐतिहासिक और भव्य हो, जिससे वह यादगार बन सके। पटेल ने कहा कि बेहतर उच्च शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है इसलिये आवश्यक है कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी सप्ताह में एक दिन तय करे ताकि वे विश्वविद्यालयों के कुलपति से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनें एवं उनके निराकरण में सहयोग करें। इसके साथ ही वे स्वयं विश्वविद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां की स्थिति का जायजा लें जिससे छोटी-छोटी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रोन्नति समय से करें, जिससे उनका मनोबल बना रहे। बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आलोक कुमार राय एवं राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी केयूर सम्पत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

AMRIT VICHAR Page 2

विवि प्रशासन के सामने छात्र रखें अपनी समस्या

एलयू की परीक्षा स्कीम को चुनौती देने का मामला

विधि संवाददाता

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 19 जून के नोटिस व 23 जून को जारी परीक्षा स्कीम को चुनौती देने के मामले व मास प्रमोशन की मांग कर रहे छात्रों को प्रत्यावेदन के जरिये अपनी समस्या लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर निर्णय लेगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल सदस्यीय पीठ के जतिन कटियार व 22 अन्य छात्र-छात्राओं की ओर से दाखिल की गयी याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। एलयू के अधिवक्ता सवित्र वर्धन सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की गई। अधिवक्ता के अनुसार यह भी बात सामने आई कि वकालतनामे में मात्र एक छात्र का हस्ताक्षर है जबकि याची 23 हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि न तो याचिका में उचित पक्षकार बनाए गए हैं और न ही उन शासनादेशों को ही चुनौती दी गई है जिनको आधार बनाकर विश्वविद्यालय ने स्कीम जारी की है। सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि बाद में याचियों को अपनी बात विवि के समक्ष रखने के लिए प्रत्यावेदन देने की छूट दे दी।

उल्लेखनीय है कि याचिका का मुख्य आधार कोरोना महामारी को बनाया गया था। कहा गया कि ट्रेनों का पूरी तरह संचालन नहीं होने के कारण तमाम छात्र परीक्षा में आने में असमर्थ होंगे व जो छात्र पीजी में रह रहे थे, उन्हें नई या पुरानी पीजी तालाशने में दिक्कत होगी व यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के छात्रावासों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन असम्भव है।

TOI Page 3

HC to LU: Decide on students' demand

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: The Lucknow bench of Allahabad high court on Friday directed Lucknow University students to put forth their demand for cancellation of examinations in the wake of Covid pandemic with the university authorities. Permitting the students to make a representation to the LU with details of their demands, the court also directed LU officials to look into the students' demand and take a decision on it.

A bench of Justice Saurabh Lavania passed the order while dismissing a writ petition moved by 23 students of Lucknow University, seeking cancellation of the ex-

DISMISSES PLEA TO CANCEL EXAMS

aminations in the Covid spread. The students have instead demanded mass promotions of all students of LU and affiliated colleges saying that it's unsafe to conduct exams in the time of coronavirus.

The petitioners had challenged LU decision to conduct exams for UG and PG courses in July and August. Opposing the students' plea, LU lawyer Savitra Vardhan Singh said it was filed in a cursory manner and was not maintainable. He told the court that even parties were not made properly and there was signature of only one student on 'vakalatnama' (power of attorney) while there were 23 petitioners. On the request of the petitioners' lawyer RK Agrawal, court allowed students to raise their grievance before LU.

Help varsities boost NAAC ratings, Guv tells officials

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Governor **Anandiben Patel**, who is also the chancellor of all state universities, directed higher education department officials on Friday to select three universities and provide them full support so that they can score 'A' grade in the National Assessment Accreditation Council (NAAC) evaluation.

She also asked officials to support Lucknow University in working out its problems and take up the issue of promotion of teachers and filling up of vacant posts on priority.

She issued the directives during a meeting with the officials of higher education department, LU vice-chancellor and deputy chief minister Dinesh Sharma at Raj Bhawan.

"Universities should not be a burden on the government and should look for new ways to earn revenue on their own," she added.

She assured that a grand centenary celebration of the Lucknow University would be held under the directions of the deputy chief minister.

In the meeting, LU vice-chancellor Alok Kumar Rai shared financial challenges faced by the university, including salary burden. He said the university was not in a condition to take up promotions or fill vacant posts as it was reeling under the financial deficit of over Rs 100 crore in its annual budget of 2020-21.

The governor asked LU to begin with promotions and appointments and the government would ensure no financial handicap was faced in this process.

Expressing concern that not a single university in the state has scored 'A' in NAAC ratings, the Governor said, "Higher education officials should fix one day in a week to meet vice-chancellors of the university and listen to their problems. They should also go for surprise inspections of the varsity and try to solve minor issues then and there."

She said promotion of teachers and employees should be ensured timely so that they could stay motivated.